

Participants : Munshiram Shri

Title : Regarding shortage in power supply in U.P. and to provide Minimum Support Price to the farmers for their produce.

श्री मुंशी राम : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में इस वर्ष शरद ऋतु की वर्षा समय पर न होने के कारण किसानों के पास अपनी फसल को बचाने के लिए पानी के साधन नहीं थे। इस कारण उनकी गेहूं एवं अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है

कि विद्युत की आपूर्ति प्राप्त न होने के कारण उन्हें अपनी फसल को बचाने के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी लागत 34 रुपए प्रति लीटर है। इस कारण जिन किसानों ने गेहूं आदि फसल

को बचाने की कोशिश की है, उसकी लागत इतनी ज्यादा आती है कि किसान बुरी तरह से नुकसान में पहुंच जाता है। मैं समझता हूँ कि भारत के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री में गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस समय सरकार के पास 47 लाख टन गेहूं का भंडारण है और 13 लाख टन प्रतिमास गेहूं की निकासी होती है। ऐसे में लगभग चार महीने का भंडारण देश में होने के पश्चात् देश के किसानों को 640 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करते हैं। एफ.सी.आई. इसी गेहूं को 1140 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचती है और हम इसे 1200 रुपए से अधिक में आयात करने के लिए तैयार हैं। अगर हम किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं देंगे तो वे कैसे मजबूत होंगे? मैं इस बात के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसी स्थिति आ रही है और वहां किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों पैदा करना चाहते हैं? अगर सरकार को मूल्य निर्धारित करना है तो उसे सरकार वहन करे, गेहूं पैदा करने वाला कहां से गेहूं पैदा करेगा? अगर किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, तो वह कैसे सर्वाइव करेगा?